अभिलेख उपस्थापित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक–45639–45675, दिनांक–05.10.2021 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद उपस्थापित किया गया। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का आवलोकन किया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद धारा–379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता ने अज्ञात के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किया है। वाद में सूचक के विरूद्ध दिनांक–10.10.2021 को नोटिस निर्गत किया गया है। आजतक सूचक सुनवाई हेतू न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद में सूचक को कोई अभिरूची शेष नहीं रह गया है । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में अग्रीम कार्यवाही हेतू पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्यों में अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा वाद की अग्रीम कार्यावाही समाप्त की जाती है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

Dictated

21/10/21

succ./~~ACJ~~ S.D.J.M